


11.09.2022:—पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी उपस्थित
आयें। वादी अधिवक्ता ने पक्षकारान की पैरवी
हिदायत नही होना जाहिर किया गया। वादी
अधिवक्ता के हिदायत पैरवी नही होने के कारण
वादपत्र वादी अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर
वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।




सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़